भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †4980
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

†4980. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्यनिष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का ब्यौरा क्या है,
(ख) पंचायती राज प्रणाली की सफलता को मापने के लिए प्रयुक्त मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;
(ग) स्थानीय सरकार के स्तर पर कितनी बार संपरीक्षा की जाती हैं और तत्संबंधी संपरीक्षा परिणाम क्या हैं; और
(घ) सरकार ने सार्वजनिक धन के उपयोग तथा स्थानीय सरकारों पर लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन कोसुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख): मंत्रालय ने 17 एसडीजी को 9 विषयों में समेकित करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत विकास एजेंडा हासिल करना है। विषयगत दृष्टिकोण स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ वैश्विक लक्ष्यों के संरेखण को सरल बनाता है, जिससे उन्हें सामुदायिक स्तर पर कार्यान्वियन के लिए अधिक प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य बनाया जाता है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) स्थानीय स्तर पर एसडीजी प्राप्त करने और परिणामस्वरूप एसडीजी 2030 प्राप्त करने में जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का आकलन और मापन करता है। यह सूचकांक एलएसडीजी के 9 विषयों में विभिन्न स्थानीय विकास संकेतकों पर आधारित है। पीएआई का एक उद्देश्य विभिन्न एलएसडीजी विषयों में प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों के विकास अंतराल की पहचान करना और जमीनी स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना के लिए पंचायत को सक्षम बनाना है।

स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के नौ (9) विषयों में विषयगत अंक, ग्राम पंचायतों के समग्र पंचायत उन्नति सूचकांक के साथ, स्थानीय एसडीजी और अंततः एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण होंगे। पीएआई के परिणाम पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वृद्धिशील प्रगति को दर्शाएंगे, जो एलएसडीजी को साकार करने की दिशा में उनकी प्रगति को उजागर करेंगे। आधारभूत डेटा पंचायत उन्नति सूचकांक स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करने, कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान करने और बेहतर

प्रदर्शन के लिए वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(ग) और (घ) पंद्रहवें वित्त आयोग के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनिवार्य मानदंडों में से एक चालू वर्ष से पहले दो वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लेखापरीक्षित खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि आगामी अनुदान पीआरआई को आवंटित किए जा सकें। मंत्रालय ने पंचायत खातों के लेखापरीक्षण और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एप्लीकेशन विकसित किया है।

अब तक, लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 के लिए, लगभग 2,58,120 पीआरआई (598 जिला पंचायतें, 6159 ब्लॉक पंचायतें और 2,51,363 ग्राम पंचायतें) लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार की गई हैं, 2,57,237 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं और 27,08,747 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं। इसी तरह, लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए, लगभग 2,46,530 पीआरआई (516 जिला पंचायतें, 5319 ब्लॉक पंचायतें, 2,40,695 ग्राम पंचायतें) लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार की गई हैं, 2,19,411 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं और 25,18,720 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं।

पंचायतों का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान सहित पंचायत निधियों के उपयोग की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन शुरू किया था, जो पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे नियोजन, बजटन, लेखांकन और लेखापरीक्षा की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है।

***